

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

सं०सं०-४/नि०स्था०(वेतन सत्यापन)-४५/११

आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक-४५६३ दिनांक-१८.०३.१३ द्वारा श्रीमती संध्या वर्मा, तत्कालीन सहायक, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति उद्योग निदेशालय की दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दंड संसूचित है।

श्री वर्मा का असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध वेतनवृद्धि को विमुक्त करते हुये निम्नरूपेण वेतनवृद्धि का प्रक्रम निर्धारित किया जाता है :-

| दिनांक | वेतनवृद्धि की राशि | मूल वेतन | ग्रेड वेतन | कुल योग |
|------------|--------------------|----------|------------|----------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| ०१.०७.२०१२ | ६९० | १८,७६० | + ४,८०० | २३,५६०/- |
| ०१.०७.२०१३ | ७१० | १९,४७० | + ४,८०० | २४,२७०/- |
| ०१.०७.२०१४ | ७३० | २०,२०० | + ४,८०० | २५,०००/- |

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।


ज्ञापांक-सं०सं०-४/नि०स्था०(वेतन सत्यापन)-४५/११/...../ पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं०सं०-४/नि०स्था०(वेतन सत्यापन)-४५/११/.....^{३७३२}/ पटना, दिनांक.....^{१४.९.१५}

प्रतिलिपि:- वरीय लेखा पदाधिकारी, ह०रे० निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में/उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग एवं संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।
११.९.१५